सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005

क्रमांक एफ2(6579)सूप्रौ/संस्था/15/ I/58641/2016 जयपुर, दिनांक : 19/10/16

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्पयूटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों मे कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायको को निम्नलिखित शैक्षणिक परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नही है :–

क्र. स.	नाम	पदस्थापित विभाग का नाम	शिक्षण संस्था/यूनिवर्सिटी	परीक्षा का नाम	अध्ययन का प्रकार
1.	श्री गणेश शर्मा, सूचना सहायक	कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर ।	Vardhman Mahaveer Open University, Kota	M.Sc. (C.S)	पत्राचार
2.	श्री दुर्गा शंकर पंवार, सूचना सहायक	कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी,नोखा बीकानेर ।	NIMS University, Jaipur	Bachelor in Library and Information Science	पत्राचार
3.	श्री दिनेश कुमार, सूचना सहायक	कार्यालय एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक) पंचायत समिति , सुमेरपुर, पाली ।	Jaipur National University, Jaipur	M.C.A	पत्राचार
4.	श्री धन्नाराम कुमावत, सूचना सहायक	कार्यालय एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, सीकर	Jaipur National University, Jaipur	M.C.A	पत्राचार
5.	श्री देवेन्द्र कुमार, सूचना सहायक	कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,अजमेर ।	Jaipur National University, Jaipur	M.C.A	पत्राचार
6.	श्री भोपाल सिंह यादव, सूचना सहायक	कार्यालय एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग जहाजपुर भीलवाडा ।	Vardhman Mahaveer Open University, Kota	M.Sc. (C.S)	पत्राचार
7.	श्री दिनेश सिंह चौहान, सूचना सहायक	कार्यालय जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी जैसलमेर ।	Jaipur National University, Jaipur	M.C.A	पत्राचार

उक्त शैक्षणिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त कर्मचारियो को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
3. कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष मे उतीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस मे उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।
4. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
7. अध्ययन वर्ष मे कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
8. प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
9. परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुसार उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।
10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर–मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
11. पत्राचार/स्वयंपाठी पाठ्यक्रम हेतु आवेदक को बाकी रहे वर्षों–द्वितीय/तृतीय की परीक्षा के लिए पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं है

Sd

(ए.एम. देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. संबधित विभागाध्यक्ष ।
2. संबधित कर्मचारी।
3. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट ।

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव